

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

0 नं० - 21 / 2023

तमान :-

1. रामस्वरूप पुत्र श्री वीरवल जाति नाई आयु 67 वर्ष निवासी छानीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

- प्रार्थी

1. केसराराम पुत्र दुलीचन्द जाति छिम्पा निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
2. चानणमल पुत्र लीलाधर उर्फ लीलूराम छिम्पा निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
3. धर्मोदेवी पत्नी लीलाधर उर्फ लीलूराम छिम्पा निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
4. लालचंद पुत्र लीलाधर उर्फ लीलूराम छिम्पा निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
5. सुभाषचन्द्र पुत्र लीलाधर उर्फ लीलूराम छिम्पा निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
6. सुमित्रा पुत्री लीलाधर उर्फ लीलूराम छिम्पा निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
7. टेकचंद पुत्र दुलीचंद जाति छिम्पा निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
8. बृजलाल पुत्र दुलीचन्द जाति छिम्पा निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
9. मूर्तिदेवी पत्नी मंगलाराम पुत्रवधु दुलीचन्द छिम्पा निवासी छानीबडी भादरा।
10. नरेन्द्र } पुत्र-पुत्री मंगलाराम पुत्रवधु दुलीचन्द
11. विजेन्द्र } जाति छिम्पा निवासी छानीबडी
12. कान्ता } तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज०)
13. तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़ राज०

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए
आरटीएक्ट सपठित धारा 8(2) राज० कॉल० ए
उपरिस्थिति :- श्री संदीप गोदारा प्रार्थी

निर्णय

दिनांक: 11.08.2025

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार हैं कि यह कि चक 8 एएमएस के खाता सं. 193/182 के मु० नं० 52 के किला नं. 18 ता 23 कुल क्षेत्रफल 1.5180 हैक्टर वारानी कृषि भूमि प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है। एवं चक 8 एएमएस के खाता सं. 126/69 के मु० नं० 86 के किला नं. 4 ता 8, 13 ता 18 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर, मु० नं० 87 के किला नं. 1 ता 4, 9 ता 12 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर कुल 5.060 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त रूप से खातेदारी दर्ज है।

यह कि गांव छानीबडी की आबादी से उत्तर की ओर पक्की सड़क से होकर प्रार्थी व अन्य ग्रामवासी आवागमन करते हैं। प्रार्थी की कृषि भूमि मुख्य सड़क से पश्चिम दिशा में पडती है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने-जाने के लिए मु० नं० 87 के किला नं. 4, 5 के दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम व किला नं. 3 के पूर्वी तरफ दक्षिण से उत्तर रास्ते से होकर आवागमन करता आ रहा है। प्रार्थी की कृषि भूमि में आने-जाने के लिए इस रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। चक 8 एएमएस के खाता सं. 126/69 के मु० नं० 87 के किला नं. 5 के उत्तर तरफ पूर्व से पश्चिम एक-एक बिस्वा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृतशुदा रास्ता है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण की चक 8 एएमएस के खाता सं. 126/69 के

मुं नं० 87 के किला सं. 4 के दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम व किला नं. 3 के पूर्वी उत्तरी कोने से होकर पूर्व की तरफ दक्षिण से उत्तर एक-एक बिस्वा रास्ता की आवश्यकता है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाने का कानूनी अधिकारी है। उक्त रास्ता का कन राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन किया गया। सम्मन तागिल होने के बाद अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 12 के विरुद्ध एक शीय कार्यवाही अगल में लाई गई एवं अप्रार्थी संख्या 13 की और से रिपोर्ट पेश की गई।

वहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने वहस वकील प्रार्थी ने कथन किया के प्रार्थी को अप्रार्थीगण की चक 8 एएमएस के खाता सं. 126/69 के मु० नं० 87 के किला सं. 4 के दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम व किला नं. 3 के पूर्वी उत्तरी कोने से होकर पूर्व की तरफ दक्षिण से उत्तर एक-एक बिस्वा रास्ता का उपयोग करता है। परन्तु उक्त किलाजात में राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की वहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रस्तावित रास्ता की भूमि के एवज में प्रार्थी रास्ता की भूमि के बदले कृषि भूमि या उसकी कीमत अप्रार्थीगण को अदा करने के किलए तत्पर एवं तैयार है विवादित भूमि में प्रस्तावित रास्ता स्वीकार योग्य होने के उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने का निवेदन किया है व रास्ता की भूमि के एवज में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिस की गई कृषि भूमि दर के अनुसार अप्रार्थीगण को प्रतिफल राशि देने को तैयार है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक चक 8 एएमएस के खाता सं. 126/69 के मु० नं० 87 के किला सं. 4 के दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम व किला नं. 3 के पूर्वी-उत्तरी कोने से होकर पूर्व की तरफ दक्षिण से उत्तर एक-एक बिस्वा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त मु० नं० 87 के किला सं. 4 के दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम व किला नं. 3 के पूर्वी-उत्तरी कोने से होकर पूर्व की तरफ दक्षिण से उत्तर एक-एक बिस्वा रास्ता की भूमि के एवज में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दर के अनुसार अप्रार्थीगण को प्रतिफल राशि दिलायी जाकर ही उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिर्षक)

R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़